



2026:AHC:32070-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3245 सन् 2026

मुकुल और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. श्री प्रमोद कुमार पांडे ने बार में बयान दिया है कि इस मामले में, उन्होंने पहले ही 11.02.2026 को रजिस्ट्री में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा दायर कर दिया है।

2. हालांकि, यह रिकॉर्ड में नहीं है।

3. कार्यालय को इसका पता लगाने और इसे रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जाता है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए, श्री प्रमोद कुमार पांडे, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन-कटघर, जिला- मुरादाबाद की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1) के तहत 2026 के एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष हैं और गुप्त उद्देश्य के कारण उन्हें तत्काल मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 43 सन् 2026 के तहत एक क्रॉस केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें तीन व्यक्तियों को चोटें आई हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप से, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और इस तरह, आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए के साथ-साथ विद्वान अधिवक्ता के लिए प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर पीड़ितों नमिता, अमीषा और श्याम कुमार पर एक तबल, लोहे की छड़ और तेज धार वाले हथियारों से हमला किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चोटें आई हैं और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई है। इसके अलावा, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है, इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

8. विद्वान ए.जी.ए. ने तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एससी 315 में रिपोर्ट किए गए और आपराधिक अपील संख्या 843 सन् 2024 प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा एक तबल, लोहे की छड़ और तेज धार वाले हथियारों द्वारा किए गए हमले के कारण, तीन व्यक्तियों/पीड़ितों, अर्थात् नमिता, अमीषा और श्याम कुमार को चोटें आई हैं और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई है, इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए चोटों और आरोपों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है और इस तरह, हम आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने और उसे रद्द करने के इच्छुक नहीं हैं।

10. इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

11. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी जमानत याचिकाओं पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारित किया जाएगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"